चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 14.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 14.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष राजापुर व उनकी टीम द्वारा नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 09.05.2025 को थाना राजापुर अन्तर्गत एक ग्राम वादिया द्वारा थाना राजापुर में सूचना दिया गया कि अभियुक्त द्वारा घर में घुसकर नाबालिक पुत्री के साथ जबरन बलात्कार करना व जान से मारने की धमकी देना । इस सूचना के सम्बन्ध में थाना राजापुर में मु0अ0सं0-106/25 धारा 65(1)/333/351(2)(3) बीएनएस व 4(2) पॉक्सो एक्ट बनाम सोनू कुमार पुत्र अवधेश कुमार निषाद पंजीकृत किया गया। आज दिनाँक 14.05.2025 को थानाध्यक्ष राजापुर व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सोनू कुमार पुत्र अवधेश कुमार निषाद को छिबो तिराहा राजापुर से गिरफ्तार किया गया ।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1.उ0नि0 श्री प्रवीण सिंह थानाध्यक्ष राजापुर
2.उ0नि0श्री कन्हैया बख्श सिंह
3.आरक्षी प्रकाश मिश्रा
4.आरक्षी मनीष यादव
5.चालक मुख्य आरक्षी अतीक खां

(4). कृपया पुलिस अधीक्षक/सहायक Go-Live निदेशक,उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र,लखनऊ ने अपने पत्र संख्याः-टीएस-सीसीटीएनएस-e-Office(NIC)/2022(II) दिनांक 23.12.2024 एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को सम्बोधित विशेष सचिव,उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः 1149/6-पु0-15/2024 दिनांक 25.11.2024 व अपर मुख्य सचिव,मुख्यमंत्री,उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः-आर 70(ई-ऑफिस/चौंतीस-सां0वि0प्र0-2024 दिनांक 08.01.2024 के माध्यम से दिनांक 04.11.2024 को विभिन्न निदेशालयों/मुख्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली की समीक्षा के उपरान्त मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को एक माह में पेपर लेस किये जाने हेतु ई-ऑफिस प्रारम्भ (Go-Live) कराकर ई-ऑफिस के माध्यम से पत्रावलियों का शत-प्रतिशत व्यवहरण सुनिश्चित कराये जाने के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में राघव प्रेक्षागार प्रशिक्षण इकाई में ई-ऑफिस (Go-Live) पोर्टल पर कार्य करने हेतु कार्यालय/शाखाओं में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण को प्रशिक्षण दिया गया।

EDM (ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर) श्री दिनेश कुमार प्रजापति द्वारा बताया गया कि ई-ऑफिस पोर्टल एक ऐसा वेब एप्लीकेशन है जो सरकारी कार्यालयों में फाइलों और दस्तावेजों की डिजिटल रूप से प्रबंधित करने में मदद करता है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो हॉस्ट (Host) के माध्यम से सरकारी कामकाज को अधिक कुशल, पारदर्शी और प्रभावी बनाता है। ई-ऑफिस पोर्टल का मुख्य कार्य है कि 1.फाइलों का डिजिटल प्रबंधन 2. फाइल प्रोसेसिंग की स्वचालित प्रणाली 3.पोर्टल माध्यम से अधिकारी/कर्मचारी कही से भी अपने कार्यालय तक पहुँच सकते है और फाइलों को देख सकते है । 4.यह कार्यालयों को पेपरलेस बनाने में मदद करता है। 5. समय और उर्जा को बचाता है। 6.डेटा सुरक्षा,गति और दक्षता,सुविधाजनक कार्य,नवाचार को बढ़ावा देना है।

प्रशिक्षण के दौरान उपाधीक्षक श्री डॉ0 अरविन्द कुमार वर्मा,क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह,स्टेनो पुलिस अधीक्षक श्री विनोद शुक्ला,वाचक श्री राजीव कुमार सिंह, प्रभारी मीडिया सेल श्री निशिकान्त राय,प्रभारी रिट सेल श्री वीर प्रताप सिंह,प्रभारी जनसूचना सेल श्री जयप्रकाश उपाध्याय,प्रभारी आईजीआरएस श्री प्रदीप यादव,प्रभारी डायल

112 श्री शम्भू दयाल मौर्य, प्रभारी यातायात श्री शैलेन्द्र सिंह,पीआरओं प्रदीप पाल एवं कार्यालय/शाखा में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा तथा मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्रीमती संगीता सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 कोर्ट श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 14.05.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 248/2023 धारा 308,323,324 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त हुबलाल पुत्र रमई निषाद निवासी कटैया खादर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 04 वर्ष का कारावास व 3500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनांक 31.10.2023 को वादी चुक्कीलाल पुत्र बच्चीलाल पासी निवासी कटैया खादर थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ में सूचना दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के पिता बच्चीलाल के साथ गाली गलौज करते हुए कुल्हाड़ी से मारकर बेहोश कर देना । इस सूचना के सम्बन्ध में थाना मऊ में मु0अ0सं0 248/2023 धारा 308,323,324,504,506 भादवि0 व 3(2)5ए ,3(1)द0ध0 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनाम 1. हुबलाल पुत्र रमई निषाद 2. बबलू पुत्र चरन निषाद निवासीगण ग्राम कटैया खादर थाना मऊ जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया था। विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। आरोपी अभियुक्तगण को गिरफ्तार करते हुए आरोप पत्र दिनांक 26.02.2024 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री विदिशा भूषण द्वारा दिनाँक 14.05.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 634/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त चुनबद्दा पुत्र बऊरा निवासी ग्राम बीरामाफी चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में थानों पर खड़े वाहनों के निस्तारण के रुप में Operation Clean के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में थाना परिसर बरगढ़ में में खड़े कुल 18 लावारिस/जब्तशुदा जिसमें 10 दो पहिया वाहन मोटरसाइकिल, 01 टैम्पो व 08 ऑटोरिक्शा की नीलामी की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी जिसके क्रम में सभी वाहनों का सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी चित्रकूट अपने पत्र संख्या 903,904,905/सा0प्र0/वाहन मूल्यांकन आख्या/चित्रकूट/2024-25 दिनाँक 28.02.2025 को मुल्यांकन कराया गया। नीलामी की प्रक्रिया के क्रम में श्रीमान उपजिला मजिस्ट्रेट कर्वी को रिपोर्ट देकर नीलामी की तिथि निश्चित की गयी और समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कराते हुए प्रचार प्रसार कराया गया जिसके क्रम में आज दिनांक 14.05.2025 को श्री हिमांशू द्विवेदी नायब तहसीलदार मऊ की उपस्थिति में नीलामी की कार्यवाही थाना परिसर में शुरू की गयी जिसमें बोली लगाने हेतु उपस्थित 09 व्यक्तियों के सामने नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बोली प्रारम्भ की गयी सभी वाहनो की अन्तिम बोली 1,40,500 रु0 बोली गयी जिसे अन्तिम रुप देते हुए कागजात तैयार कर वाहनों को अंतिम बोली दाता को सुपुर्द कर रूकसत किया गया, इस प्रकार थाना परिसर बरगढ़ में खडे 18 वाहनों की कार्यवाही पूर्ण की गयी।